

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय जिला अफीम अधिकारी,
प्रतापगढ़—प्रथम खण्ड
बड़ा बाग कॉलोनी, मन्दसौर रोड,
प्रतापगढ़ (राजस्थान) 312605



PHONE+FAX :- (91) 1478-222079, E-MAIL:- doo-pratapgarh@cbn.nic.in

Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotics
Office of the District Opium Officer,
Pratapgarh-Ist Div.
Bada Bagh Colony, Mandsour Road,
PRATAPGARH (RAJ.) 312605

फा.सं. I(2)/ADM/Purchase/2018

दिनांक 17.03.2022

निविदा

फसल वर्ष 2021–22 के अफीम तौल कार्य के लिए जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ़—प्रथम खण्ड (तौल केन्द्र—प्रतापगढ़) व प्रतापगढ़—द्वितीय खण्ड (तौल केन्द्र—छोटीसादड़ी) पर निम्नलिखित टेन्ट, शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराये पर सप्लाई करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। तौल कार्य माह, अप्रैल के प्रथम सप्ताह से चलने की संभावना है।

क्रम संख्या	सामान का नाम	मात्रा (तौल केन्द्र प्रतापगढ़)	मात्रा (तौल केन्द्र छोटीसादड़ी)
1	टेन्ट (15X15)	50	50
2	कनात (15X6)	50	50
3	दरी (10X8)	20	20
4	कुर्सी (Moulded)	80	80
5	टेबल	50	50
6	टेबल कवर	50	50
7	त्रिपाल (15X15)	0	0
8	परदे (15X10)	50	50
9	पानी के ड्रम (ढक्कन सहित)	0	2
10	कूलर नये	15	15
11	जम्बो कूलर	5	5
12	पेडरल फैन	20	20
13	पलंग प्लाईवुड 6 x 3.5 फीट	5	20
14	जनरेटर 10 केवी / 60 केवी	2	2
15	हेलोजन लाइटें	10	10
16	ट्यूबलाइटें	40	40
17	बल्ब 200 वॉट / सीएफएल 24 वॉट	20	25
18	मेटल लाइट 150	4	6
19	तख्ता लकड़ी	2	2
20	बिस्तर सेट	50	40 (तकिया सहित)
21	स्टेबलाइजर	2	2
22	माईक सेट	1	1
23	कारपेट (मेटिंग) प्लास्टिक कोटेड	12000 स्क्वायर फीट	12000 स्क्वायर फीट
24	बेरियर (बेरीकेटीना)	2000 रनिंग फीट	2000 रनिंग फीट
25	रिवच बोर्ड	30	30

नियम एवं शर्तें

- उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी प्रतापगढ़—प्रथम खण्ड के तौल केन्द्र—प्रतापगढ़ एवं प्रतापगढ़—द्वितीय खण्ड के तौल केन्द्र—छोटीसादड़ी अफीम तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारम्भ होने वाले केन्द्र पर पहुंचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
- तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराये में सम्मिलित जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग—अलग दर्शाएं।

3. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रखरखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जावेगा।
4. सभी सामान प्रत्येक डिवीजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा। सामन की टूट फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नहीं होगा।
5. निविदादाता अपनी मोहरबन्द निविदा जिस पर निर्दिष्ट डिवीजन व तौल केन्द्र का नाम व मद अंकित हो, इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय में एवं संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय में 10.00 बजे से 18.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
6. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नहीं होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जिला अफीम अधिकारी अन्य फर्मों से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
7. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इस सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पेनल बोर्ड आदि शामिल हैं। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं है।
8. **शामियाना एवं अन्य सामानों की क्लालिटी उत्तम होनी चाहिए।** यदि शामियाना, दरियां, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्लालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशि में कटौती की जाएगी।
9. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ताके पास सुरक्षित रहेगा।
10. इस सन्दर्भ में कोई भी कानुनी कार्यवाही प्रतापगढ़ न्यायालय के अधीन होगी।
11. जी.एस.टी. रजिस्टर्ड फर्म अपना जी.एस.टी. नम्बर दें। पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पेन कार्ड की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
12. निविदादाता अपनी निविदा कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ़ में दिनांक 29.03.2022 तक प्रस्तुत कर सकेंगे तत्पश्चात् प्राप्त निविदा को दिनांक 30.03.2022 को कार्यालयीन समय में जिला अफीम अधिकारी, प्रतापगढ़ में इस आशय हेतु बनाई गई कमेटी के समक्ष खोला जायेगा।

(दीपक दुबे)

जिला अफीम अधिकारी
प्रतापगढ़—प्रथम / द्वितीय खण्ड

प्रतिलिपि :— नोटिस बोर्ड।

(दीपक दुबे)

जिला अफीम अधिकारी
प्रतापगढ़—प्रथम / द्वितीय खण्ड